न्यायालयः कॉमर्शियल कोर्ट संख्या–1, आगरा।
मॉ वैष्णो फूडस बनाम खुशबू
प्रकीर्ण वाद संख्या–01/2023

दिनांक :–15.07.2025

पत्रावली पेश हुई।

1. प्रतिवादी संख्या–1 के तरफ से प्रार्थना पत्र 63ग समर्थित शपथ पत्र 64ग अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता वाद पत्र को निरस्त किए जाने हेतु मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंधन को रोकने के सम्बन्ध में स्थायी व्यादेश का वाद पोषणीय नहीं है। वादी द्वारा वाद दो अलग–अलग वाद कारण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम वाद कारण ट्रेडमार्क के उल्लंघन से सम्बन्धित है, जबकि दूसरा वाद कारण कॉमन लॉ के धोखे से किसी अन्य के उत्पाद के समान उत्पाद का उपयोग Passing off से सम्बन्धित है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। ट्रेडमार्क के उल्लंघन से सम्बन्धित वाद धारा 28(3) ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से बाधित है। प्रश्नगत धारा में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि यदि समान ट्रेडमार्क एक से अधिक व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत है तो किसी एक व्यक्ति को प्रश्नगत ट्रेडमार्क के अनन्य रूप से उपयोग का आधार प्राप्त नहीं है तथा अन्य पंजीकृत ट्रेडमार्क के स्वामी के विरूद्व विधितः वाद योजित नहीं किया जा सकता है। धारा 28(3) दोनों व्यक्तियों को अपने–अपने पक्ष में पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करने का समान अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तुत वाद में वादी तथा प्रतिवादीगण क्रमशः Khushbu तथा Khusboo के पंजीकृत प्रोपराइटर हैं। वादी द्वारा वादपत्र में (Passing off) के परिप्रेक्ष्य में किसी वाद कारण के उत्पन्न होने का उल्लेख नहीं किया गया है तथा न ही यह उल्लिखित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत ट्रेडमार्क का उपयोग इस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के निस्तारण के क्रम में यह तथ्य देखा जाना है कि क्या वास्तव में कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है अथवा मात्र कल्. पना के आधार पर वाद योजित किया गया है। वादी द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में वाद कारण उत्पन्न होने के बाबत वास्तविक एवं आवश्यक तथ्य का उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया गया है। वाद कारण के परिप्रेक्ष्य में एक भी अनिवार्य तथ्य का उल्लेख न करने के कारण वाद कारण अपूर्ण हो जाता है तथा वाद पत्र विधितः त्रुटिपूर्ण हो जाता है। वाद पत्र के सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा (Passing off) के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है तथा ट्रेडमार्क के उल्लंघन से सम्बन्धित वाद कारण के साथ ही चतुराई से सम्बद्व कर दिया गया है। प्रतिवादीगण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यापार नहीं करते हैं। अतः इस आधार पर भी वाद पत्र विधित त्रुटिपूर्ण है। ट्रेडमार्क के उल्लंघन तथा (Passing off) के परिप्रेक्ष्य में दो वाद कारण उत्पन्न दर्शित किए जाने की स्थिति में दोनों वाद कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होना विधितः आवश्यक है। प्रतिवादी न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यापार नहीं करता है। अतः Passing off से सम्बन्धित वाद कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होना विधित संभव नहीं है। प्रस्तुत संयुक्त वाद कारण से सम्बन्धित वाद विधितः पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा इस आधार पर वाद पत्र को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर वादी द्वारा आपत्ति 68ग प्रस्तुत करते हुए यह उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थना पत्र तथ्यात्मक व विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। वाद पत्र को निरस्त किए

जाने के सम्बन्ध में किसी भी सुसंगत तथ्य का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य वाद की कार्यवाही को विलम्बित रखना है। प्रतिवादी द्वारा दुर्भावनापूर्ण आशय से उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 21.4.2023 को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरूद्व वादी द्वारा दिनांक 16.05.2023 को आपत्ति प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 07.08.2023 को प्रतिउत्तर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। तदोप. रांत न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2024 को इस सम्बन्ध में प्रारंभिक वाद बिन्दु का निस्तारण कर आदेश पारित किया गया। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों का पूर्व में ही उभय पक्ष के मध्य गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जा चुका है। वाद किसी भी आधार पर धारा 28(3) ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से बाधित नहीं है। दो ट्रेडमार्क के पंजीकृत होने की स्थिति में ट्रेडमार्क के उल्लंघन को निषेधित किए जाने के बाबत वाद योजित किया जा सकता है तथा धारा 28(3) व 30(2)धारा (E) से वाद बाधित नहीं है। पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के सम्बन्ध में दूसरे पंजीकृत स्वामी के विरूद्व जिसका ट्रेडमार्क समान है, के विरूद्व वाद योजित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में निबंधक के समक्ष विनिश्चयन व सुदृढीकरण की कार्यवाही कर वाद को स्थगित किया जा सकता है लेकिन अंतरिम व्यादेश का अनुतोष प्रदान किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। धारा 124(5)ट्रेडमार्क एक्ट 1999 अंतरिम व्यादेश का अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु अनुमति देता है। पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन तथा Passing off के सम्बन्ध में संयुक्त वाद कारण के बाबत विधितः वाद योजित कया जा सकता है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तृत रूप से सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवोकन किया। प्रतिवादी संख्या–1 के तरफ से लिखित बहस 75ग तथा वादी के तरफ से लिखित बहस 76ग प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं।

1. Popat and kotecha Property Vs State Bank of India Staff Association; (2005) 7 SCC 510
2. Church of North India Vs Lawajibhai Ratanjibhai and Ors.; (2005) 10 SCC 760
3. Paragaon Rubber Industries Vs Pragathi Rubber Mills and Ors.; (2014) 14 SCC 762
4. LT Foods Limited Vs Heritage Foods (India) Limited; 2014 SCC Online Del 2918
5. S. Syed Mohideen Vs P. Sulochana Bai; (2016) 2 SCC 683
6. Bhaskar Laxman Jadhav and Ors. Vs. Karamveer Kakasaheb wagh Education Society and Ors. (2013) 11 SCC 531
7. Hari Shankar Jain Vs. Sonia Gandhi (2001) 8 SCC 233
8. Director of Settlements A.P and others Vs. M.R. Apparao and Another; (2002) 4 SCC 638
9. Dharampal Satyapal Limited Vs. Basant Kumar Makhija; 2023 SCC Online Del 6598

10. Ruston & Hornsby Ltd. Vs. Zamindara Engineering Co. (1969) 2 SCC 727

11. Ramdev Food Product (P) Ltd. Vs. Arvindbhai rambhai Patel and others (2006) 8 SCC 726 : 2006 SCC Online SC 892

12. Brihan karan sugar syndicate Private Ltd. Vs. Yashwantrao Mohite Krushna sahakari sakhar karkhana (2024) 2 SCC 577: 2023 SCC Online SC 1163

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं।

1. Rakesh Kumar Singh & Ors. Vs. Civil Judge Junior Division Kaiser-ganj Baharaich & Ors. 2016 SCC Online All 2580 : (2016) 119 ALR 803 : (2017) 134 RD 346

2. Mother Dairy Fruit and Vegitable Pvt. Ltd. Vs. Bhushan Oil & Fats Pvt. Ltd. 2022 SCC Online Del 3175

3. Clinique Laboratories LLC and Ors. Vs. Gufic Limited and Ors. MANU/DE/0797/2009

4. Mallcom (India) Limited Vs. Shanti Udyog Weldsafe Private Limited & Ors. MANU/DE/ 2793/2024

5. S. Syed Mohideen Vs P. Sulochana Bai (2016) 2 SCC 683

6. Kantilal Premji Maru Vs. Madan Kumar MANU/MH/1038/2018

7. Abbot Healthcare Pvt. Ltd. Vs. Raj kumar Prasad and Ors. MANU/DE/1000/2014

8. Good Life Industries Vs. JRJ Foods Pvt. Ltd. MANU/GJ/3045/2022

9. S. Narendra Kumar and Co. Vs. Apricot Foods Pvt. Ltd. (29.05.2013 - BOMHC): MANU/MH/0604/2013 (Para 6)

4. उभय पक्ष के तरफ से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद ट्रेडमार्क के उल्लंघन तथा Passing off के आधार पर स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु मुख्य रूप से इस आधार पर योजित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के नाम पंजीकृत ट्रेडमार्क Khushbu का अतिक्रमण किया गया है तथा वादी के नाम पंजीकृत ट्रेडमार्क Khusboo के समान ट्रेडमार्क का उपयोग कर वादी के अधिकार का हनन किया गया है। वाद पत्र के अर्न्तवस्तु के अनुसार वादी प्रश्नगत ट्रेडमार्क का उपयोग व प्रयोग वर्ष 1991 से कर रहा है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत ट्रेडमार्क Khusboo का उपयोग व प्रयोग उनके द्वारा वर्ष 2006 से किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी संख्या–1 फर्म का गठन दिनांक 11.03.2016 को होने के उपरांत प्रश्नगत Khusboo ट्रेडमार्क का अंतरण प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में दिनांक 16.08.2016 को हुआ। इस प्रकार उभय पक्ष के अभिकथन के आधार पर कार्यवाही के इस स्तर पर यह परिलक्षित होता है कि वादी द्वारा पूर्व से ही वर्ष 1991 से ट्रेडमार्क Khushbu का प्रयोग व उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी संख्या–1 के तरफ से प्रार्थना पत्र 63ग अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया

संहिता मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण के सम्बन्ध में वादी के पक्ष में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा Passing off के सम्बन्ध में न्यायालय को सुनवाई का स्थानीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। आदेश 7 नियम 11 (क) सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधानित है कि जहां वाद पत्र में वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है तो वाद पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आदेश 7 नियम 11 (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधानित है कि वाद पत्र के कथन से यदि यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है तो वाद पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र 63ग में वाद मुख्य रूप से धारा 28 (3) ट्रेडमार्क से बाधित होने का कथन किया गया है। धारा 28 (3) में यह प्रावधानित है कि जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यापारिक चिन्ह के सम्पत्तिधारी के रूप में पंजीकृत हैं, जो कि एक दूसरे के सदृश्य या अनुसांगिक हैं, तो उन व्यापारिक चिन्हों में से किसी के प्रयोग अनन्य अधिकार (रजिस्टर में निर्दिष्ट शर्तों या परिसीमाओं के सिवाय) मात्र व्यापारिक चिन्ह के पंजीकरण से उन सभी में से किसी एक व्यक्ति द्वारा सभी के विरूद्व अर्जित किया गया माना जाएगा, किंतु उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अन्य के विरूद्व समान अधिकार रखेंगे माना कि वह एकमात्र सम्पत्तिधारी हों।

प्रतिवादी द्वारा उद्दत उपरोक्त विधि व्यवस्था Popat and kotecha Property Vs State Bank of India Staff Association; (2005) 7 SCC 510 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि "Or. 7 Rule 11(d) applies only where the statement as made in the plaint without any doubt or dispute shows that suit is barred by any law in force- It does not apply in case of any disputed question- Having regard to averments made in the plaint in the instant case, held, High Court erred in rejecting the plaint under Or. 7 rule 11(d) on ground that the suit as appparent from statement in the plaint was barred by limitation under the Limitation Act."

उपरोक्त उद्दत विधि व्यवस्था Paragaon Rubber Industries Vs Pragathi Rubber Mills and Ors.; (2014) 14 SCC 762 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है "Jurisdiction cannot be conferred by joining two cases of action in the same suit when court has jurisdcition to try the suit only in respect of one cause of action and not the other - For the purpose of invoking jurisdcition of court in a composite suit, both the causes of action must arise within jurisdcition of the court which otherwise had jurisdcition to decide all issues."

वादी के तरफ से उदृत विधि व्यवस्था Mother Dairy Fruit and Vegitable Pvt. Ltd. Vs. Bhushan Oil & Fats Pvt. Ltd. 2022 SCC Online Del 3175 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि The consistent position of law, which is palpably clear from the legal regime on this issue as aforementioned, is that a suit filed by a registered proprietor for infringement against another registered proprietor would be maintainable and cannnot be rejected at the threshold. In dabur v. Alka (supra), this court also observed that section 28(3) of the Act does not prohibit a suit for infringement if the mark of the Defendant is also registered.

6. धारा 28 (3) ट्रेडमार्क एक्ट 1999 पंजीकृत ट्रेडमार्क स्वामी द्वारा अन्य पंजीकृत ट्रेडमार्क स्वामी के विरूद्व एक दूसरे के सदृश्य या अनुसांगिक व्यापारिक चिन्ह के सम्बन्ध में वाद

योजित करने से स्पष्ट रूप से निषेधित नहीं करता है। वाद पत्र के अर्न्तवस्तु से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से पहले से KHUSHBU ट्रेडमार्क का उपयोग खाद्य सामग्री नमकीन आदि के निर्माण हेतु किया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उभय पक्ष द्वारा एक दूसरे के पंजीकृत ट्रेडमार्क के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी रजिस्ट्रार के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हैं। जहां तक Passing off के सम्बन्ध में अनुतोष का प्रश्न है वाद के अर्न्तवस्तु के आधार पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वास्तव में प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क के परिप्रेक्ष्य में Passing off नहीं किया गया है।

7. न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या–1 के तरफ से प्रार्थना पत्र 30ग समर्थित शपथ पत्र 31ग अंतर्गत आदेश 7 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरूद्व वादी द्वारा आपत्ति 33ग प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या–1 के तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा वादी के आपत्ति पर विचार करते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2024 को प्रारंभिक वाद बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया कि क्या इस न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई का स्थानीय क्षेत्राधिकार है? दिनांक 08.02.2024 को न्यायालय द्वारा विरचित प्रारंभिक वाद बिन्दु संख्या–1 का निस्तारण उभय पक्ष को सुनकर गुण दोष के आधार पर किया गया तथा यह निष्कर्षित किया गया कि प्रस्तुत वाद के सुनवाई का स्थानीय क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। प्रश्नगत आदेश के विरूद्व प्रतिवादीगण द्वारा माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई पुनरीक्षण अथवा अपील योजित नहीं की गयी है। तात्पर्य यह है कि आदेश दिनांकित 08.02.2024 अन्तिम आदेश है। वाद पत्र के अर्न्तवस्तु के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रकरण के सम्बन्ध में वादी के पक्ष में वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रकरण पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन तथा Passing off के कारण शाश्वत व्यादेश के अनुतोष से सम्बन्धित है। वाद पत्र के अर्न्तवस्तु के अनुसार वादी द्वारा Khushbu ट्रेडमार्क का वर्ष 1991 से उपयोग व प्रयोग किया जा रहा है, जबकि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा पंजीकृत ट्रेडमार्क Khusboo का उपयोग व प्रयोग वर्ष 2006 तथा वर्ष 2016 से किया जा रहा है। प्रशनगत ट्रेडमार्क के पंजीकरण के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण उभय पक्ष द्वारा निबंधक के समक्ष अपनी–अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। वाद पत्र के अर्न्तवस्तु के आधार पर ट्रेडमार्क के उल्लंघन के संदर्भ में उभय पक्ष के मध्य विवाद होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित है। वाद पत्र के अवलोकन से यह किंचित मात्र भी प्रकट नहीं होता है कि प्रकरण के सम्बन्ध में वादी के पक्ष में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा वाद पत्र अस्पष्ट है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में दिनांक 08.02.2024 को ही विनिश्चयन किया जा चुका है।

8. इस प्रकार उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रकरण के सम्बन्ध में वादी के पक्ष में वाद कारण उत्पन्न हुआ है तथा इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद धारा 28(3) ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से बाधित नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 63ग निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 63ग अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहित निरस्त किया जाता है। आपत्तियां तदनुसार निस्तारित की जाती हैं।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।

ह0

पीठासीन अधिकारी
कॉमर्शियल कोर्ट सं0–1,आगरा।